भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1851
जिसका उत्तर शुक्रवार 06 मार्च, 2020 को दिया जाएगा

प्याज की जमाखोरी

1851. श्री संजय सिंह:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2019-20 में जमाखोरी की समस्या के कारण कितने क्विंटल प्याज खराब हुआ;

(ख) क्या सरकार देश में प्याज सहित खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कोई प्रयास कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क): सरकार द्वारा ऐसी किसी सूचना का रख-रखाव नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग): सरकार ने समय-समय पर प्याज सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाती है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार और मौद्रिक नीति संबंधी उपकरणों जैसे आयात शुल्क का उचित तरह से उपयोग, नयूनतम निर्यात मूल्य, निर्यात प्रतिबंध, स्टॉक सीमाओं का अधिरोपण, घरेलू उपलब्धता को विनियमित करने और कीमतों को सामान्य रखने हेतु जमाखोरी और कालाबाजारी इत्यादि के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए राज्यों को सलाह देना शामिल है। इसके अलावा, सरकार दाल, प्याज और आलू जैसी कृषि बागवानी वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को सामान्य रखने में मदद हेतु मूल्य स्थिरीकरण कोष का भी क्रियान्वयन कर रही है। सरकार द्वारा प्याज की कीमतों में वृद्धि को कम करने हेतु उठाये गये कदमों का ब्यौरा अनुलग्नक पर दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

'प्याज की जमाखोरी' के संबंध में दिनांक 06.03.2020 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1851 के उत्तर के भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक

सरकार द्वारा हाल ही में प्याज की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु उठाए गए कदम

i. वर्ष 2019-20 के दौरान, लगभग 57,373 मीट्रिक टन रबी प्याज के बफर स्टॉक का सृजन किया गया और राज्य सरकारों, अन्य केंद्रीय/राज्य एजेंसियों, सहकारिताओं को वितरित किया गया तथा खुली नीलामी के माध्यम से विभिन्न मंडियों में भी बेचा गया।

ii. दिनांक 11.06.2019 की अधिसूचना के माध्यम से मर्केंनडाईज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) के तहत प्याज के आयातकों के लाभ को वापिस लिया गया।

iii. 13.09.2019 को 850 डॉलर प्रति मीट्रिक टन न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को लागू किया गया।

iv. 29 सितंबर, 2019 को प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया।

v. देश भर में जमाखोरी को रोकने हेतु व्यापारियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्याज के संबंध में स्टॉक-सीमा लागू की गई थी जो प्याज की कीमतें सामान्य हो जाने और रबी 2020 मौसम में प्याज के उच्च अनुमानित उत्पादन के मद्देनजर वापस ले ली गई।

vi. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय परामर्शी बैठक (एनसीएम), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा पत्राचार के माध्यम सहित विविध मंचों/स्तरों पर प्याज की मांग को दर्शाने का सुझाव दिया गया है।

vii. राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे जमाखोरी, सट्टा व्यापार एवं मुनाफाखोरी, कार्टेलिंग जैसे अनुचित एवं अवैध व्यापार व्यवहारों आदि को रोकने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर प्याज के विक्रेताओं के साथ नियमित बैठक आयोजित करें।

viii. हरियाणा, केरल, आंध्रप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के राज्य सरकारों को न लाभ न हानि आधार पर बफर स्टॉक से प्याज की आपूर्ति की गई।

ix. जुलाई-अक्टूबर/नवंबर, 2019 के दौरान, दिल्ली- एन.सी.आर में उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर प्रत्यक्ष बिक्री के लिए मदर डेयरी, एन.सी.सी.एफ, नेफेड एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार को बफर स्टॉक से प्याज की आपूर्ति की गई।

x. नवंबर-दिसम्बर, 2019 के दौरान, नेफेड को मुख्य उत्पादक राज्यों से अधिशेष खरीफ प्याज की खरीद करने और कमी /खपत वाले राज्यों में इसका वितरण/आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया।

xi. आयात को सुकर बनाने के लिए, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा आयातित प्याज के लिए फ्यूमीगेशन मानदंडों में छूट दी गई और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा आयातकों को आयातित स्टॉक पर स्टॉक सीमा से छूट दी गई।

xii. एमएमटीसी को मूल्य स्थिरीकरण कोष स्कीम के तहत प्याज का आयात करने और देश में प्याज की उपलब्धता में सुधार करने का निर्देश दिया गया।

xiii. 15 दिसम्बर, 2019 से जनवरी, 2020 के अंत तक सरकार के निर्देश पर एमएमटीसी ने लगभग 35,857 मीट्रिक टन प्याज का आयात किया।

xiv. राज्यों से विभिन्न वीडियों कांफ्रेंसों और लिखित पत्रों के माध्यम से आयातित प्याज के लिए मांग प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

xv. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित प्याज की आपूर्ति मांग के अनुसार के साथ-साथ उपलब्धता में सुधार तथा कीमतों में नरमी लाने के लिए प्रचलित दरों पर बाजार/ मंडी/ ऑनलाइन पोर्टल पर बेचा जा रहा है।

*****